ResearchNext International Multidisciplinary Journal

Vol- 2, Issue- 3, July-September 2026 ISSN (O)- 3107-9725

Email id: editor@researchnextjournal.com Website- www.researchnextjournal.com

प्राचीन भारतीय पिंडदान में बिहार की महिलाओं का योगदान

ममता कुमारी

शोधार्थी, इतिहास विभाग पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना

Article Info: *(Recieved- 08/03/2026, Accept- 18/06/2026, Published- 05/07/2026)*

DOI- 10.64127/rnimj.2026v2i3002

सारांश–

प्राचीन भारत की परंपराओं में पिंडदान एक महत्वपूर्ण धर्म कीर्ति बिहार में भी रहा है, जो पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता था आमतौर पर यह कार्य (कर्ता) पुरुष द्वारा किया जाता था, बिहार की महिलाएं भी इस परंपरा में विशेष कर भूमि का निभाई है, जैसे की सीता माता मिथिलेश्वरी मिथिला की निवासी थी, जो वर्तमान में बिहार राज्य के दरभंगा और मधुबनी जिले के क्षेत्र में स्थित हैं।, कुछ ऐसी लोक परंपराएं और क्षेत्र कथाएं प्रचलित है, जिनमें कहा जाता है, कि सीता माता ने राजा दशरथ अर्थात अपने ससुर के निमित श्राद्ध कर्म किया था, जब वह वनवास में थी, तब श्री राम वनवास के दौरान अपने पिता दशरथ जी के मरणोपरांत के बाद श्राद्ध कर्म, तर्पण पिंडदान करना चाहे व उन्होंने नदी के किनारे श्राद्ध कर्म की व्यवस्था की थी, लेकिन जल में जब पिंड प्रवाहित करने पर जल द्वारा स्वीकार नहीं हुआ, तब माता सीता ने जल को अपने आंचल से छुआ और क्रिया और पाठ कर उन्होंने पिंडदान किया, तब जल द्वारा स्वीकारा गया। यह मुख्य रूप से आस्था, श्रद्धा और नारी की धार्मिक शक्तियों को दर्शाती है, प्राचीन काल से ही जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तब पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न करती थी, बिहार की कुछ जातिय और ग्रामीण परंपराओं में भी यह देखने को मिला है व उन्हें अधिकार प्राप्त था, कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए तर्पण पिंडदान करें यह धार्मिक सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इससे महिलाओं की धार्मिक व आध्यात्मिक भूमिका और पारिवारिक जिम्मेदारियां को मान्यता मिली। इस प्रकार बिहार की महिलाओं ने न केवल पारंपरिक मर्यादाओं को निभाया और साथ ही साथ पिंडदान जैसे धार्मिक कृत्यों में सक्रिय भाग लेकर समाज में अपनी पहचान बनाई है।

मुख्य शब्द– भारतीय, महिलाएं, विहार, बिहार, योगदान, पौराणिक, प्रभाव, धार्मिक।

भूमिका–

सीता (मिथिला की रानी) का पिंडदान में योगदान–

पौराणिक काल में वनवास के दौरान भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया तीर्थ में पहुंचे, फल्गु नदी के किनारे उपस्थित ब्राह्मण ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा, भगवान राम लक्ष्मण सहित आवश्यक सामग्री लाने चले गए, काफी समय भी जाने पर भी जब भगवान राम लक्ष्मण नहीं लौटे, तब राजा दशरथ तब ही राजा दशरथ ने पितृ रूप में सीता माता से पिण्ड मांगा माता सीता से दशरथ जी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान स्वयं करेगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने फल्गु नदी के साथ–साथ गाय, तुलसी, ब्रह्मण और कौवा को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान दिया। माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता के पिंडदान को स्वीकार कर लिया। इससे सीता को बहुत संतोष हुआ कि, उनकी पूजा को उनके ससुर दशरथ जी ने पितृ स्वरूप में स्वीकार कर

लिया। इधर राम जब लक्ष्मण के साथ लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि, पुत्र के बिना भी पिंडदान हो सकता है, इस पर सीता जी ने कहा फल्गु सहित गाय, तुलसी, ब्रह्मण और कौवा इस बात की साक्षी है, भगवान राम ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता ने कोई पंडा नहीं किया लेकिन वहां उपस्थित वट वृक्ष में सत्य का साथ देते हुए कहा कि, सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया है। उन पांचो साक्षी के इस झूठ पर क्रोधित होकर माता–सीता ने उन्हें श्राप दे दिया फल्गु को कहा कि वह केवल नाम मात्र की नदी रह जाएगी, उसमें पानी नहीं रहेगा इसीलिए गया में फल्गु सूखी, तुलसी को श्राप दिया कि, वह गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेगी, गाय को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा होगी और ब्राह्मण को कहा कि, वह कभी संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रता पूर्वक जीवन जिएंगे कौए हमेशा अभ्यक्ष और लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया गया, लेकिन बट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया, यही नहीं बट वृक्ष में न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेंगे बल्कि अनंत काल तक स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना की पूर्ति के लिए भी पूजा करेंगी ।

ललिता देवी के पितृकृत्य में योगदान–

ललिता देवी का नाम मगध क्षेत्र (वर्तमान समय में बिहार राज्य) की प्रमुख देवी के रूप में लिया जाता है, जिनके नाम से प्रसिद्ध मंदिर भी है, मगध की देवी अर्थात ललिता देवी ने पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक कृ त्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा महिलाओं को सक्रिय

रूप से इस कृत्य पितरों के आत्मा की शांति और पुण्य के लिए धार्मिक कृत्य विशेष रूप से मगध क्षेत्र के पिंडदान परंपराओं को मजबूत करने के लिए महिलाओं को जागरूक किया व उन्हें पूजा श्राद्ध जैसे कृत्यों में भाग लेने का अधिकार और अवसर दिया, जिससे पितृकृत्य के अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भी उनकी भूमिका बढ़ी, तथा सक्रिय रूप से शामिल होने पर उनके धार्मिक अधिकारों को बढ़ावा मिला। इससे यह संदेश गया कि धार्मिक कृत्यों में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की।

अत्रि और अनुसूया का पितृकृत्य पर प्रभाव–

अनुसूया ऋषि अत्रि की पत्नी की पत्नी थी जो मगध क्षेत्र से है। वह एक प्रमुख धार्मिक और वैदिक महिला मानी जाती हैं उनका जीवन धर्म, भक्ति, और निष्ठा का प्रतीक रहा है। अनुसूया ने ऋषि अत्रि के साथ मिलकर कई ऐसे धार्मिक कार्यों किए जिसमें पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी शामिल थे जो धार्मिक कृत्य और साधना पितरों की शांति के लिए होते थे अनुसूया ने अपनी निष्ठा, धर्म, और कर्तव्य पालन के साथ यह संदेश दिया कि, महिलाएं धार्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं, और पिंडदान, तर्पण जैसे कार्य केवल पुरुषों तक सीमित नहीं हैं।

गार्गी वाचक्नवी का पिंडदान और अन्य धार्मिक कृत्यों में योगदान–

गार्गी वाचक्नवी प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक अत्यंत प्रसिद्ध विदुषी और ऋषिका थीं, जिनका संबंध विदेह से था जो अभी वर्तमान समय में बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, गार्गी का नाम विशेष रूप से वेदों और धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन, व्याख्या, और वैदिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, वह ऋषि अत्रि, ऋषि याज्ञवल्क्य, और अन्य महान ऋषियों के साथ उनके धार्मिक वाद–विवादों में भी भाग लिया करती थी, उस समय उन्होंने पिंडदान और श्राद्धकर्म जैसी धार्मिक परंपराओं का कार्य महिलाओं द्वारा किए जाने पर कृत्यों का समर्थन धार्मिक दृष्टिकोण से किया जिससे लोग यह कार्य सही तरीके से सम्पन्न किया जा सके, उनके ज्ञान और शिक्षा ने यह साबित किया कि पिंडदान, श्राद्धकर्म, और अन्य धार्मिक कृत्य समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, और महिलाओं को भी इन कृत्यों में भाग लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ प्रसिद्ध धार्मिक वाद–विवाद किया था, जो एक उदाहरण है कि धार्मिक कृत्य और श्रद्धांजलि के कृत्य के महत्व को वह समझती थीं। तथा गार्गी का योगदान यह था कि, उन्होंने महिलाओं की धार्मिक अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाई और समाज में उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य किया।

विद्या वाचस्पति का पिंडदान और धार्मिक कृत्य में योगदान–

विद्या वाचस्पति का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास में एक प्रमुख विदुषी के रूप में जाना जाता है, और उनका संबंध भी मिथिला क्षेत्र से था, जो वर्तमान समय में बिहार का हिस्सा है, विद्या वाचस्पति ने समय–समय पर महिलाओं को धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया। उनका यह विचार था कि महिलाओं को

पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार है। मिथिला क्षेत्र में जहां वे निवास करती थीं, वहां परंपराएं पुरुषों के लिए अधिक प्रचलित थीं, लेकिन विद्या वाचस्पति ने अपने ज्ञान के माध्यम से महिलाओं की धार्मिक कर्तव्यों में भागीदारी को सशक्त किया तथा यह साबित किया कि धार्मिक कृत्य जैसे पिंडदान, तर्पण, और श्राद्धकर्म में सक्रिय रूप से शामिल हो सकती हैं, और उनका योगदान समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तथा यह भी समझाया कि श्राद्धकर्म जैसे कृत्य न केवल पितरों की शांति के लिए आवश्यक हैं, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए पुण्य के लिए होते है।

महिलाओं की भूमिका को पुनः स्थापित करने में शाकंभरी देवी का योगदानः शाकंभरी देवी का संबंध प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति से है, और वह मगध क्षेत्र की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। शाकंभरी देवी को विशेष रूप से कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, और सभी प्रकार के आहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इनकी पूजा में महिलाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, महिलाओं को आध्यात्मिक शक्ति, समान अधिकार, और धार्मिक कृत्यों में सक्रिय भागीदारी का हक देती हैं। शाकंभरी देवी के पूजा अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी ने यह साबित किया कि महिलाएं धार्मिक कृत्य जैसे पिंडदान, श्राद्ध, और अन्य पूजा विधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हो सकती हैं, तथा इनके माध्यम से नारी शक्ति, आध्यात्मिक सम्मान, और धार्मिक समानता को बढ़ावा मिला, और यह महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्त्रोत बनने का कार्य किया, तथा उनके कार्यों ने समाज में महिलाओं के स्थान को नया दृष्टिकोण दिया। बिहार की ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं में महिलाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। उपरोक्त संदर्भ ग्रंथों और अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बिहार न केवल विध्द्वानों और ऋषियों की भूमि रही है, बल्कि यहाँ की महिलाओं ने भी धार्मिक अनुष्ठानों, विशेषकर पिंडदान जैसे पवित्र कर्तव्यों में सक्रिय योगदान दिया। गार्गी वाचक्नवी, विद्या वाचस्पति, ललिता देवी जैसी विदुषी नारियों ने धार्मिक कर्तव्यों को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि स्वयं भाग लेकर सामाजिक दृष्टिकोण को एक दिशा दी। पिंडदान, जो परंपरागत रूप से पुरुषों का कर्तव्य माना जाता था, उसमें महिलाओं की भागीदारी यह दर्शाती है, कि बिहार की धरती पर आध्यात्मिक समता की अवधारणा प्रारंभ से ही उपस्थित थी। मगध और मिथिला क्षेत्रों की महिलाएँ न केवल पिंडदान जैसे संस्कारों में सम्मिलित हुई, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित व जागरुक किया। यह उस युग के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन की व्यापकता और समावेशिता को प्रमाण करता है। इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होता है, कि बिहार के सांस्कृतिक इतिहास में महिलाओं का योगदान केवल सहायक भूमिका में नहीं था, बल्कि वे स्वयं भी धार्मिक, सांस्कृतिक और बौधद्धिक नेतृत्व का दायित्व निभा रही थीं।

वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन नारी सशक्तिकरण की ऐतिहासिक जड़ों को और अधिक गहराई से समझने में सहायता करता है। प्राचीन समय से चलते आ रहे, पिंडदान की प्रक्रिया व दूर रहने वाले पिंडदान कर्ता के श्राद्ध कर्म को सुलभ व आसान तरीके से पूजन पिंडदान के विधि विधान के अनुसार वर्तमान समय में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटिडीसी) ने पितृपक्ष टूर पैकेज तैयार किया है, जिसके माध्यम से विदेशी भी अर्थात विदेश से भी लोग पूर्वज के पिंडदान तर्पण के लिए बुक करा कर ई–पिंडदान सकेंगे उन्हें पिंडदान की भी सुविधा दी जाएगी, वह ई बुकिंग की सुविधा के माध्यम से घर बैठे ही पूर्वजों का पिंडदान करवाया जाएगा। पूजन विधि को ऑनलाइन देखी जाएगी बाद में पंडा की ओर से पूजा की संपूर्ण विधि की वीडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में अपलोड कर पते पर उपलब्ध कराया जाएगा इसके इसके अलावा पुनपुन गया जी, पटना आदि जैसे जगह पर भी यह सुविधा दी गई है तथा वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पिंडदान के लिए समय समय पर पितृ पक्ष के मेले का आयोजन कर पिंडदान का कार्य को सम्पूर्ण कराया जा रहा। चौत्र कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने बेहद खास समय सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक को माना जाता हैं तथा प्राचीन काल से ही जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तब पिंडदान की प्रक्रिया को संपन्न करती थी बिहार की कुछ जाति और ग्रामीण परंपराओं में भी देखने को मिला है, वह उन्हें अधिकार प्राप्त था कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए तर्पण पिंडदान करें, यह धार्मिक सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था इससे महिलाओं की धार्मिक आध्यात्मिक भूमिका और पारिवारिक जिम्मेदारियां को मान्यता मिली इस प्रकार बिहार की महिलाओं के बाल पारंपरिक मर्यादाओं को निभाया है, साथ ही साथ पिंडदान जैसे धार्मिक कृतियों में सक्रिय भाग लेकर समाज में अपनी पहचान बनाई है।

निष्कर्षत–

यदि इन ऐतिहासिक तथ्यों का गहन अध्ययन और प्रचार किया जाए, तो महिलाओं के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को लेकर आज जो विमर्श चल रहा है, उसमें बिहार की प्राचीन परंपराओं से एक सशक्त प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भग्रंथ सूची–

1. वेदव्यास. बृहदारण्यक उपनिषद. गीता प्रेस, गोरखपुररू 2011. अध्याय 3, ब्राह्मण 6; पृष्ठ क्रमांक, 278–289.
2. वेदव्यास. देवी भागवत पुराण. गीता प्रेस, गोरखपुररू 2009. नौवां स्कंद, शाकंभरी देवी प्रसंगरू पृष्ठ 680–6
3. वेदव्यास. श्रीमद्भागवत महापुराण. गीता प्रेस, गोरखपुररू 2015. नौवां स्कंद, अनुसूया प्रसंग; पृष्ठ क्रमांक, 563–570.
4. स्कंद ऋषि. स्कंद पुराण, देवी खंड. गीता प्रेस, गोरखपुररू 2013. अध्याय 12–16; पृष्ठ संख्या, 242–260.
5. डॉ बिंदेश्वरी झा. मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएँ। मिथिला अध्ययन केंद्र, दरभंगा 1998. IV 4; पृष्ठ संख्याः 145–1
6. डॉ. हरिनाथ झा. बिहार की लोक देवी परंपरा. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 2005. IV 3; पृष्ठ क्रमांक, 88–97.
7. डॉ. रामशंकर त्रिपाठी. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, प्रयाग विश्वविद्यालय प्रकाशन, प्रयागराजः 1970. चथुर्थ 6; पृष्ठ संख्या, 212–224.
8. डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी। संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति में महिलाएँ। साहित्य अकादमी, नई दिल्लीरू 2010. IV 5; पृष्ठ क्रमांक, 175–190.
9. डॉ. नागेन्द्रनाथ झा. बिहार का सांस्कृतिक इतिहास. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना 1983. 7; पृष्ठ क्रमांक, 198–210.
10. डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत में लोक देवियों की उत्पत्ति और विकास। भारतीय विद्या संस्थान, वाराणसी, 1967. IV 2; पृष्ठ संख्यारू 55–70।
11. हिंदुस्तान पत्रिका, 9 अप्रैल 2024, पृष्ठ संख्या, 09
12. हिंदुस्तान पत्रिका; 26 सितंबर 2023, पृष्ठ संख्या, 05–08।

Cite this Article

"ममता कुमारी", "प्राचीन भारतीय पिंडदान में बिहार की महिलाओं का योगदान", ResearchNext International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3107-9725 (Online), Volume:2, Issue:3, July-September 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."